(To be published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi
Department of Social Welfare
G. L. N. S. Complex, Delhi Gate, New Delhi

No. F 41(8)/FAS/DSW/Enhance/2007-08/2358-2368 **Dated:** the 11th Nov 2011

NOTIFICATION

No. F 41(8)/FAS/DSW/Enhance/2007-08/:- The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Old Age Assistance Rules, 2009 as published in the Delhi Gazette vide notification no. No. F 41 (21)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/1892-1904 dated November 4, 2009, and its subsequent amendment titled The Old Age Assistance (Amendment) Rules, 2011 published in the Delhi Gazette vide notification no. F 41(22)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/2004-14 dated October 18, 2011 as following, namely:-

(1) Short Title and Commencement:

(a) These rules may be called, The Old Age Assistance (Amendment) Rules, 2011.

(2) Amendment of Rule 7:

In the Old Age Assistance Rules, 2009, in rule 7, the clause (a) shall be substituted and clauses (c) and (d) shall be added as following, namely-

7 (a) Subject to the fulfillment of the provisions of the scheme, an allowance will be remitted quarterly in the bank account of the beneficiary aged 60- 69 years at the rate of Rs. 1000/- per month (Rs. one thousand per month) per head through ECS of RBI. All beneficiaries aged 70 years and above shall be paid Rs. 1,500/- per month (Rs. one thousand and five hundred per month) per head remitted quarterly through ECS of RBI.

(c) The enhanced assistance to beneficiaries aged 70 years and above shall become payable with effect from October 1, 2011, remitted in Quarter 3, 2011-12.

(d) From financial year 2012-2013 onwards, the age upgradation will be undertaken from the start of financial year i.e. April of each year itself.

Kumar

(Sanjiv Kumar)
Secretary, Social Welfare & Women & Child Development

No. F 41(8)/FAS/DSW/Enhance/2007-08/2358-2368 **Dated:** the 17th Nov 2011

Copy forwarded for information to:-

1. Secretary to the Lt. Governor of Govt. of NCT of Delhi
2. Secretary to the Chief Minister of Govt. of NCT of Delhi
3. Secretary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
4. Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
5. Secretary to the Minister of Food & Supply, Govt. of NCT of Delhi
6. Secretary to the Minister- Finance, Govt. of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister Industries, Govt. of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister Education, Govt. of NCT of Delhi
9. Secretary to the Minister Health, Social Welfare & Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi
10. Secretary to the Minister Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
11. Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

(Sanjiv Kumar)
Secretary, Social Welfare & Women & Child Development

(दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
राजकीय लेडी नौएस स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–2.

सं0फा0 41(8)/एफएएस/डीएसडब्ल्यू/वृद्धि/2007–08/2358-2368 दिनांक: 11-11-2011

अधिसूचना

सं0फा0 41(8)/एफएएस/डीएसडब्ल्यू/वृद्धि/2007–08/ –राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना सं0फा0 41(21)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्की0 संशोधन/09–10/1892–1904 के अनुसार दिल्ली राजपत्र में यथाप्रकाशित वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 और दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं0फा 41(21)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्की0 संशोधन/09–10/2004–14 के अनुसार दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नामक नियमावली, 2011, के अनुवर्ती संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(क) इन नियमों को वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाये।

2. **नियम 7 का संशोधन :–**

वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 के नियम 7 में खंड (क) प्रतिस्थापित किया जाएगा और खंड (ग) एवं (घ) निम्न प्रकार सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :–

7 (क) योजना के उपबंधों की पूर्ति के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के ईसीएस के माध्यम से प्रतिव्यक्ति 1000/–रुपये प्रतिमाह (एक हजार रुपये प्रतिमाह) की दर से 60–69 वर्ष की आयु के लाभग्राही के बैंक खाते में प्रति तिमाही भत्ता जमा किया जाएगा। 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी लाभग्राहियों को भारतीय रिजर्व बैंक के ईसीएस के माध्यम से जमा प्रति तिमाही प्रति व्यक्ति 1500 रुपये प्रतिमाह (एक हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह) की दर से भुगतान किया जाएगा।

(ख) 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के लाभग्राहियों को बढ़ी हुई सहायता राशि वर्ष 2011–12 की तीसरी तिमाही में 01 अक्टूबर, 2011 से देय हो जाएगी।

(ग) वित्तीय वर्ष 2012–13 के बाद से आयु वृद्धि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से अर्थात् अपने आप प्रत्येक वर्ष के अप्रैल से प्रारंभ मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव कुमार

(संजीव कुमार)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास

सं०फा० 41(6)/एफएएस/डीएसडब्ल्यू/वृद्धि/2007–08/2358-2368 दिनांक: 11-11-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
4. सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. सचिव, खाद्य एवं संभरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
7. सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
8. सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
9. सचिव, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, शहरी विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

संजीव कुमार

(संजीव कुमार)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास